न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अरूण कुमार पुरोहित, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 03/2023

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये श्री सुरेश विश्नोई, प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		श्री त्रिलोक सिंह पुत्र हजारी सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोरडिया, तहसील गडरा रोड, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वंय अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.07.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 19.12.2022 को श्री सुरेश विश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर, श्री खेमाराम प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, एवं श्री दीपक कुल्हार, प्रवर्तन निरीक्षक के साथ प्रार्थी स्वंय ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स कृष्णा होटल, सदर थाना के पास, बाड़मेर के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री त्रिलोक सिंह उपस्थित मिला। उक्त दुकान मे चाय बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र.	गैस	गैस	सिलेण्डर	खाली	सिलेण्डर मे

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सं.	सिलेण्डर न.	कम्पनी का नाम	का कुल वजन	सिलेण्डर का वजन	भरी हुई गैस का वजन
1.	532749	**IOCL**	25.700 Kg	15.600 Kg	10.100 Kg

मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु उपयोग के एक गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स बाड़मेर गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री गौतमचन्द बोथरा पुत्र श्री पारसमल जाति जैन निवासी जैन न्याति नोहरा को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स बाड़मेर गैस एजेन्सी को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना –पत्र

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के संलग्न मौका जांच रिपोर्ट में जांच स्थल पर अप्रार्थी द्वारा ग्राहको को चाय बनाकर विक्रय किया जाना पाया गया था तथा उक्त घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है लिहाजा उक्त सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग स्पष्ट नहीं होता है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा प्रकरण में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होना प्रकट किया हैं जबकि इस आशय का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। इस प्रकार प्रस्तुत इस्तगासे में ऐसा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं पाया गया तथा मौका फर्द प्रर्फोमा में तैयार की है जबकि मौका फर्द वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की जानी चाहिए। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित होने एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के अभाव में सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

(अरुण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)